अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

पत्रांक 2329-2

प्रेषक,

सचिव,
सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति
—सह—
अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर/
अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर/
थाना अध्यक्ष, सिंहेश्वर/
प्रबंधक,
सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति, सिंहेश्वर।

मधेपुरा, दिनांक 28 वीं नवम्बर 2013 ई0 ।

विषय :— भौतिक सत्यापन के उपरांत बाबा सिंहेश्वर मंदिर में विवाह संस्कार सम्पन्न कराने की अनुमति देने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :— प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा के पत्रांक 2403/गो0 दिनॉक18.10.2013 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 2071—2/सा0 दिनॉक 21वीं अक्टूबर 2013 ई0।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बाबा सिंहेश्वर मंदिर में बाल विवाह, बेमेल विवाह सहित अन्य अवैधानिक विवाहों को रोकने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2071—2/सा0 दिनॉक 21वीं अक्टूबर 2013 द्वारा आपको निदेशित किया गया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति या संस्थाएँ जो इस कार्य में संलिप्त हैं के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। ऐसे व्यक्ति एवं संस्थाओं यथा—पुजारी, पंडित, होटल, विवाह भवन, बिचौलियॉ इत्यादित को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में यह कहना आवश्यक है कि राष्टीय महिला आयोग इत्यादि संस्थाएँ ऐसे बाल विवाओं को बड़ी गंभीरता से लेती है। इससे पूर्व कि बाल विवाह की कोई वास्तविक घटनाा सामने आये, पूर्ण रूप से निरोधात्मक कार्रवाई किकर, मंदिर प्रांगण के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई पर पूर्णतया रोक लगाना सुनिश्चित करें।साथ ही यह भी निदेश दिया गया है कि:—

1. मंदिर में विवाह के लिए आए वर—वधु का फोटो पहचान पत्र/शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि उम्र के सत्यापन हेतु मॉग कर पंजी में संधारित करना सुनिश्चित करें।
2. यदि बेमेल (जैसे अधिक उम्र का वर तथा अपेक्षाकृत बहुत कम उम्र की वधु) विवाह की स्थिति आती है तो इसकी सूचना स्थानीय अंचल अधिकारी/थाना अध्यक्ष को देते हुए आश्वस्त होने पर ही विवाह की अनुमति मंदिर प्रांगण में दें कि प्रलोभन, दबाव आदि मेंयह विवाह नहीं हो रहा है।
3. विवाह के लिए आए लोगो (वर—वधु) का आवासीय पता सम्बन्धी साक्ष्य भी प्राप्त करें।
4. वर—वधु का तस्वीर निश्चित रूप से लेकर सम्बन्धित पंजी में उसे सुरक्षित रखें।
5. यदि विवाह में विडियोग्राफी हुई है तो सी.डी. की एक प्रति भी सुरक्षित रखें। सभी विडियोग्राफर को इस शर्त के साथ ही विडियोग्राफी की इजाजत दी जाए।
6. इसकी सूचना सभी संबंधितों को देना सुनिश्चित करें।

अधोहस्ताक्षरी को यह ज्ञात हुआ है कि व्यापक प्रचार—प्रसार की कमी के कारण बाबा सिंहेश्वर मंदर में विवाह संस्कार सम्पन्न कराने आए कुछ परिवारों को वापस लौटना पड़ा है। अतः निदेश है कि जब तक इस आशय की सूचना का व्यापक प्रचार—प्रसार नहीं हो जाता है तब तक अगले छः महीने तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर, अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर, थाना अध्यक्ष, सिंहेश्वर और प्रबंधक, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति सिंहेश्वर अपने समक्ष वर और वधु दोनों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें विवाह की अनुमति दे सकेंगे। अनुमति देने से पूर्व अनुमति देने वाले पदाधिकारी इस आशय का लिखित रूप से प्रमाण अंकित करेंगे कि भौतिक सत्यापन से वर एवं वधु का उम्र क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष का या उससे अधिक का प्रतीत होता है। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति सिंहेश्वर के कर्मी इस आशय का प्रमाण पत्र अपने अभिलेख में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रबंधक, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति सिंहेश्वर को निदेश दिया जाता है कि इस आशय का विज्ञापन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र यथा दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक प्रभात खबर में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

सचिव,
सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति
—सह—
अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांक 2329 / मधेपुरा, दिनाँक 28 वीं नवम्बर 2013 ई0।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सचिव,
सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति
–सह–
अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।